धारा (4) (1) ख (ii) आधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य

प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना–सरकार की निदेशों एवं नीतियों को सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए उत्तरदायी है। वे कार्यपालिका नियमावली के अन्तर्गत सरकार का निर्णय प्राप्त कर उन्हें कार्यान्वित कराते हैं ।

निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अधीन मत्स्य प्रभाग का प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी प्रधान हैं। सभी प्रकार के तकनीकी विषयों में निदेशक विभाग के जिम्मेवार सलाहकार भी हैं।

निदेशक मत्स्य के उत्तरदायित्वों के निर्वहन में समुचित सहयोग एवं अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिये निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक पदाधिकारी एवं विषय विशेषज्ञ पदाधिकारी पदस्थापित है, जो निदेशक मत्स्य के अधीन इनके द्वारा सुपुर्द किये गये कार्यो का सम्पादन एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा निर्धारित नीतियों एवं नियमों के अन्तर्गत करते हैं।

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हेतु योजनाओं का प्रचार–प्रसार, क्रियान्वयन, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य ही मत्स्य निदेशालय का मुख्य कार्य है । इसके अतिरिक्त निदेशालय के अधीन सभी प्रकार के जलकरों का विकास, बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006, यथा संशोधित 2007, 2010 एवं 2018 के तहत् जलकरों की बन्दोबस्ती राजस्व वसूली, उन्नत नश्ल के मत्स्य – बीज का उत्पादन एवं मत्स्य कृषकों के बीच मत्स्य बीज वितरण, प्रसार एवं प्रशिक्षण प्रदान करना मुख्य कार्य है । सभी 38 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण पंजीकृत है, जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी हैं एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी – सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी इसके सदस्य सचिव हैं । जिला स्तर पर चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में मत्स्य विकास की योजनाओं को सम्मिलित कर इनके कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व मत्स्य पालक विकास अभिकरण का है । मात्स्यिकी विकास योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन प्रत्येक माह मत्स्य निदेशालय को मत्स्य परिक्षेत्र कार्यालयों से प्रेषित किये जाते हैं, जिनका संकलन मत्स्य निदेशालय में सांख्यिकी एवं राज्य परियोजना इकाई द्वारा किया जाता है ।